10 Rs. COURT FEE १० रु. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10 Rs. COURT FEE १० रु. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10 Rs. COURT FEE १० रु. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

अपील 1781 - III / 09

रामदयाल मिश्रा तनय रामफल मिश्रा उम्र 52 साल, पेशा खेती, निवासीग्राम जमुआर, तहसील सिहावल, राजस्व निरीक्षक वृत्त देवगवा, जिला सीधी म0प्र0 ---------- अपीलार्थी

बनाम

मध्य प्रदेश शासन ---------- उत्तरवादी

अपील विरूद्ध कमिश्नर महोदय रीवा के पुनरीक्षण क्रमांक 20/निगरानी/2000×01 में पारित अदम पैरवी आदेश दिनांक 2/8/04 के पुर्नस्थापना हेतु प्रस्तुत पुर्नस्थापना प्रकरण क्रमांक 21/पुर्नस्थापना/08-09 को खारिजी दिनांक 17/8/09.

अन्तर्गत धारा- 35(4) मध्य प्रदेश भूराजस्व संहिता 1959.

श्री आर. डी. शर्मा एडवोकेट द्वारा आज दि. 29-12-09 को प्रस्तुत।
29.12.09
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

29-12-09

मान्यवर,

अपील के संक्षिप्त तथ्य :-

1/ यह कि पुनरीक्षणकर्ता के पक्ष में आराजी क्रमांक- 374 रकवा 4.04 हे0 के जुज रकवा 1.559 का व्यवस्थापन तहसीलदार सिहावल के प्रकरण क्रमांक- 71/अ-19(2)/88-89 आदेश दिनांक 6/4/09 के माध्यम से किया गया था, जिसे कलेक्टर सीधी द्वारा स्वयमेव पुनरीक्षण क्रमांक- 52/निगरानी/2000-2001 में लिया जाकर दिनांक 16/4/01 को व्यवस्थापन पट्टा निरस्त किया गया था, जिसके विरूद्ध आवेदक कमिश्नर रीवा केसमक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत किया था, जो 20/निगरानी/2000-01 के रूप में पंजीकृत होकर दिनांक 21/8/04 को अदम पैरवी में खारिज की गई थी, जिसके पुर्नस्थापना हेतु आवेदन पत्र आवेदक द्वारा संहिता की धारा 35(3) के तहत प्रस्तुत किया गया था, जो कमिश्नर

राजकीय अभिभाषक
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर

A 1781/ 11/09 सिविल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.7.16	अपीलान्ट आवेदक अधि. आर. डी. शर्मा प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधि. उपस्थित। उभय पक्षों को सुना गया, प्रकरण का अवलोकन किया। अपीलान्ट अधि. द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.04 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की थी जो स्वीकार की गयी तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रकरण सं 20/2000 आदेश दि 2.8.04 को पूर्व स्थापित कर उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर करें। पत्रावली दाखिल हो। प्रकरण ह० दिनांकित हो। * ह०	

शाहमुद्रा—75—फॉर्म—17-6-2015—5,000.